न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 29/2020

1. इकबाल पुत्र श्री सिराजुद्दीन उम्र 45 वर्ष निवासी कसाईपाडा वार्ड नम्बर 26 बयाना
2. नसीम पत्नी श्री इकबाल उम्र 42 वर्ष निवासी कसाईपाडा वार्ड नम्बर 26 बयाना
3. इकरार पुत्र श्री इकबाल उम्र 21 वर्ष निवासी कसाईपाडा वार्ड नम्बर 26 बयाना
4. असीम पुत्र श्री इकबाल उम्र 23 वर्ष निवासी कसाईपाडा वार्ड नम्बर 26 बयाना
5. हीना पुत्री श्री नकीम उम्र 22 वर्ष निवासी कसाईपाडा वार्ड नम्बर 26 बयाना
6. शाहरूख पुत्र श्री नकीम उम्र 21 वर्ष निवासी कसाईपाडा वार्ड नम्बर 26 बयाना
7. रेशमा पत्नी श्री इकबाल उम्र 23 वर्ष निवासी कसाईपाडा वार्ड नम्बर 26 बयाना
8. अंजुम पुत्री श्री नकीम उम्र 20 वर्ष निवासी कसाईपाडा वार्ड नम्बर 26 बयाना
9. गुल्लो पत्नी श्री अल्लावक्स उम्र 76 वर्ष निवासी कसाईपाडा वार्ड नम्बर 26 बयाना

.... अपीलांटस

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) बयाना

.... रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक.......................
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
बयाना

निर्णय **दिंनांक : 07.12.2020**

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस. डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक ....के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स एक ही परिवार के सदस्य हैं व अपने स्वामित्व के पुख्ता मकान में वार्ड संख्या 26 कस्बा बयाना में स्थायी रूप से निवास करते हैं। अपीलान्ट्स ने वार्ड संख्या 26 की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए नि[illegible] फार्म में आवेदन किया थे, जिन पर बी0एल0ओ0 द्वारा वार्ड संख्या 26 की [illegible] की अनुशंषा किये जाने के बावजूद भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी [illegible]), बयाना ने अपी[illegible] के आवेदनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:05:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

को अस्वीकृत कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है । अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार कर उनके नाम वार्ड संख्या 26 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में जोड़ने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, जो संलग्न मिसिल है।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि " **अपीलान्ट्स द्वारा अपने आवेदन के साथ निवास का कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है, इस कारण बिना साक्ष्य सबूतों के आधार पर इनके नाम नगर पालिका बयाना की निर्वाचक नामावली, 2020 में नाम जोड़ा जाना उचित नहीं है"**।

अपीलान्ट्स द्वारा वार्ड संख्या 26 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदनों के साथ अपने निवास सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र पेश नहीं किये गए हैं। अपीलान्ट्स के वार्ड संख्या 26 कस्बा बयाना में निवास सम्बन्धी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर अपीलान्ट्स के नाम नगरपालिका बयाना की निर्वाचक नामावली, 2020 में जोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता है। ई0आर0ओ0 बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07.12.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:05:44 IST
Reason: SelfAttested